**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

 **राज्य सभा**

अ**तारांकित प्रश्न संख्या-86**

**जिसका उत्तर** 24 नवंबर**, 2014 को दिया जाना है ।**

**गैस के मूल्य के कारण विद्युत प्रशुल्कों में वृद्धि**

**86. श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में गैस के मूल्य में वृद्धि के कारण विद्युत की दरें बढ़ जाएंगी;

(ख) क्या गैस के मूल्य में वृद्धि के कारण इस बढ़ोत्तरी की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस वृद्धि का मुकाबला करने के लिए आम आदमी की किस प्रकार क्षतिपूर्ति करेगी; और

(घ) क्या सरकार आम आदमी के लिए गुणवत्तापूर्ण, सुचारू और सस्ती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख) :** ईंधन की कीमत (गैस सहित) विद्युत प्रशुल्क का हिस्सा होती है। अतः गैस के मूल्य में वृद्धि का गैस आधारित विद्युत स्टेशनों से विद्युत की उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन लागत में वृद्धि प्रत्येक संयत्र के लिए विशेष प्रचालनात्मक पैरामीटरों के आधार पर संयत्र दर संयत्र भिन्न होगी।

**(ग) और (घ) :** वितरण कंपनियों का प्रशुल्क विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत उल्लिखित सिद्धांतों और उसके अंतर्गत तैयार की गई नीतियों के आधार पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/ संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क के संबंध में सीधे नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, उपयुक्त नीति कार्यढाँचा और कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यवस्था में कुशलता को बढ़ावा दे रही है और उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की कुल लागत कम करने के विचार से वितरण एवं पारेषण अवसंरचना को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से प्रशुल्क की खोज पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले बल सहित ये उपाय प्रशुल्क की दरों को कम करने की दिशा में योगदान देते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क नीति में प्रावधान है कि राज्य सरकार कुछ उपभोक्ताओं को अथवा एक उपभोक्ता वर्ग को सब्सिडी उपलब्ध करा सकती है और इसके लिए यूटिलिटियों को अग्रिम रूप से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

\*\*\*\*\*\*\*\*